



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072020-220501
CG-DL-E-13072020-220501

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341]
No. 341]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2020/ आषाढ 22, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2020/ASADHA 22, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2020

सं. 31/ 2020-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 444(अ).— जहां कि “पॉलिब्यूटैडिन रबर” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 4002 20 00 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में व्यापार उपचार महानिदेशक (एतश्मिन पश्चात जिन्हें उक्त प्राधिकारी से संबंधित किया गया है) ने इस बात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या कोरिया गणराज्य से विषयगत वस्तु के आयात के कारण आयात में वृद्धि हो गई है और क्या ऐसे बड़े हुए आयात के कारण हमारे घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है या सारवान क्षति होने का खतरा पैदा हो गया है, प्रारंभिकरण अधिसूचना संख्या 22/7/2019-डीजीटीआर, दिनांक 7 नवंबर, 2019, जिसे दिनांक 7 नवंबर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के तहत भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली, 2017 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के अनुसार जांच का कार्य शुरू किया है।

और जहां कि अधिसूचना संख्या 22/7/2019-डीजीटीआर, दिनांक 12 मई, 2020, जिसे दिनांक 12 मई, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के तहत द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच के अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में उक्त प्राधिकारी अनंतिम रूप से इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

- (i) कोरिया से होने वाले आयात को शुल्क में रियायत दिए जाने के कारण कम मूल्य पर आयात किए जाने से कोरिया से विषयगत वस्तु का आयात बढ़ गया है जिससे यहां के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है;
- (ii) घरेलू उद्योग को हुई यह क्षति ऐसे बड़े हुए आयात के कारण हुई है और कोरिया से होने वाले विषयगत वस्तु के आयात और घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति के बीच एक सीधा संबंध देखा जा सकता है;
- (iii) इन वर्तमान कारकों से जटिल परिस्थितियां पैदा हो गई है और घरेलू उद्योग का सकल काम-काज प्रभावित हो रहा है जिसके कारण अनंतिम रूप से द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय को लागू किया जाना औचित्यपूर्ण सिद्ध होता है;

और अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय के रूप में कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित और भारत गणराज्य और कोरिया गणराज्य के बीच हुए बृहद् आर्थिक साझेदारी करार (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त व्यापार करार से संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत आयातित विषयगत वस्तु पर लगने वाले सीमा शुल्क की दर को, द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय के लागू होने की तारीख पर विषयगत वस्तु पर लगाए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन शुल्क या उक्त व्यापार करार के लागू होने के तत्काल पूर्व विषयगत वस्तु पर लगने वाले मोस्ट फेवर्ड नेशन शुल्क, दोनों में से जो भी कम हो, के स्तर तक 200 दिनों के लिए बढ़ाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009, जिसे सा.का.नि. 943 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित प्रकार से और आगे भी संशोधन करती है, यथा-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी में क्रम संख्या 342 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"342 क	4002 20	सभी वस्तुएं	10.00";

- (ii) प्रथम परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा -

"बशर्ते और भी कि, व्यापार उपचार महानिदेशक द्वारा सिफारिश किये गए अनंतिम रक्षोपाय उपाय को प्रभाव देने हेतु,-

- (क) उक्त सारणी के क्रम संख्या 342 और उससे संबंधित प्रविष्टियों में निहित किसी भी बात का प्रभाव 28 जनवरी, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, नहीं होगा, और
- (ख) उक्त सारणी के क्रम संख्या 342 क में निहित प्रविष्टियों का प्रभाव 28 जनवरी, 2021, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक ही रहेगा;

यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं होता है या इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है।”

[फा. सं. 354/53/2020-टीआरयू]

जैनेन्द्र सिंह कंधारी, उप सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 को सा.का.नि 943 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 29/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2020 जिसे सा.का.नि 430 (अ), दिनांक 6 जुलाई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th July, 2020

No. 31/2020-Customs

G.S.R. 444(E).—Whereas in the matter concerning imports of “Polybutadiene Rubber” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 4002 20 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), the Director General of Trade Remedies (hereinafter referred to as the Authority) initiated an investigation in terms of the India-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (Bilateral Safeguard Measures) Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules) *vide* initiation notification under F.No.22/7/2019-DGTR, dated the 7th November, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 7th November, 2019 in order to determine whether the imports of the subject goods from Korea RP constitute increased imports and whether the increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic industry.

And whereas, in the preliminary findings of the Bilateral Safeguard investigation issued *vide* F.No.22/7/2019-DGTR, dated the 12th May, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary dated the 12th May, 2020, the Authority has provisionally concluded that-

- (i) the domestic industry has suffered serious injury as a result of duty concessions granted to Korean imports leading to increased imports of the subject goods from Korea at low prices;
- (ii) that injury to the domestic industry has been caused by the increased Korean imports and there is a causal link between increased imports of subject goods from Korea and serious injury to the domestic industry;
- (iii) the factors present constitute critical circumstances and are affecting the overall performance of the domestic industry, justifying imposition of provisional bilateral safeguard measure,

and has recommended imposition of the provisional bilateral safeguard measure of increasing the rate of customs duty on subject goods originating in Korea RP imported under the Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of India and the Republic of Korea (hereinafter referred to as the Trade Agreement), to the level of Most Favoured Nation duty on the subject goods as on the date of application of the bilateral safeguard measure or Most Favoured Nation duty on the subject goods on the day immediately preceding the date of entry into force of the Trade Agreement, whichever is less, for a period of 200 days.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with rule 9 of the said rules, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.152/2009-Customs, dated the 31st December, 2009, published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 943 (E), dated the 31st December, 2009, namely-

In the said notification, -

- (i) in the Table, after serial number 342 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“342A.	400220	All goods	10.00”;

- (ii) After the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely-

“Provided further that, to give effect to the provisional bilateral safeguard measure, as recommended by the Director General of Trade Remedies, -

- (a) nothing contained in serial number 342 and entries relating thereto in the said Table shall have effect up to and inclusive of the 28th day of January 2021, and
- (b) the entries contained in serial number 342A in the said Table shall have effect up to and inclusive of the 28th day of January 2021;

unless revoked, superseded or amended earlier.”.

[F. No. 354/53/2020-TRU]

JAINENDRA SINGH KANDHARI, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 152/2009-Customs, dated the 31st December, 2009 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 943 (E), dated the 31st December, 2009 and was last amended *vide* notification No. 29/2020-Customs, dated the 6th July, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 430 (E), dated the 6th July, 2020.